राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर

आदेश

एकलपीठ फौजदारी विविध याचिका संख्या 1752/2017
भंवरलाल मीणा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य

आदेश दिनांक : 07.04.2017

माननीय न्यायाधिपति श्री बनवारीलाल शर्मा

श्री अंशुमान सक्सेना, अधिवक्ता– याची की ओर से।
श्री अलादीन खान, लोक अभियोजक।

विद्वान अधिवक्ता याची श्री अंशुमान सक्सेना ने निवेदन किया है कि याची सद्भाविक क्रेता है। उसने पंजीकृत विक्रय पत्र से विवादित कृषि भूमि को दिनांक 26.10.2016 को क्रय किया है, जबकि अयाची संख्या–2 परिवादी ने जिस अनुबंध पत्र को प्रथम सूचना रिपोर्ट में आधार बनाया है, वह दिनांक 12.05.2014 का है जिसमें यह शर्त तय हो रखी है कि ''बेची गयी भूमि की शेष राशि आज से एक वर्ष की अवधि में द्वितीय पक्ष नकद अदा कर देगा तथा प्रथम पक्ष उक्त सौदे की शेष चुकती राशि प्राप्त करते समय ही द्वितीय पक्ष या उसके इच्छित व्यक्ति के हक में रजिस्ट्री करवा दूंगा।'' उसके बाद अयाची संख्या–2 परिवादी ने विक्रेता को विक्रयमूल्य की राशि जमा नहीं करायी। ऐसी परिस्थति में विक्रेता ने अपने अधिवक्ता सुनील उपल के मार्फत दिनांक 09अक्टूबर, 2016 को आम सूचना प्रकाशित करवाकर उक्त इकरारनामे की शर्तों का भंग होने के कारण निरस्त कर दिया। तदनुसार पक्षकारों के मध्य का विवाद दीवानी प्रकृति का है। अतः याची के विरूद्ध दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त किया जावे।

सुना गया।

अयाचीगण को नोटिस जारी हो।

अयाची संख्या–1 का नोटिस लोक अभियोजक श्री अलादीन खान ने प्राप्त किया।

अयाची संख्या–2 का नोटिस तामील हेतु संबंधित डी.सी.पी. को छः सप्ताह में वापिसी योग्य जारी किया जावे।

प्रकरण छः सप्ताह बाद पुनः सूचीबद्ध किया जावे, तब तक याची के विरूद्ध कोई Coercive Step नहीं लिया जावे।

(बनवारी लाल शर्मा)
न्यायाधिपति

मित्तल/76